मध्यप्रदेश शासन
वित्त-विभाग

क्रमांक १४८०/३२१६/७९/नि-१/चार भोपाल, दिनांक २८ नवम्बर ७९

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण ।

साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति उच्चतर कर्तव्य अथवा जिम्मेदारी की नियुक्ति नहीं होती । अत: मूल नियम ३० के प्रावधानों के अनुसार प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानापन्न नियुक्ति होने पर शासकीय सेवकों को स्थायी वेतन से अधिक वेतन मिलने की पात्रता नहीं आती । मूल नियम ३० के प्रावधानों को शिथिल करते हुये राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानापन्न नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण मूल नियम २२(a)(ii) के प्रावधानों के अनुसार किया जावे अर्थात प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर सामान्य वेतन श्रेणी में प्राप्त वेतन की स्टेज, प्रवर श्रेणी वेतनमान में हो तो, वेतन उसी स्टेज पर निर्धारित होगा, यदि ऐसी स्टेज न हो तो वेतन निचली स्टेज पर निर्धारित होकर, अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जाकर उसे भविष्य में मिलने वाली वेतन वृद्धियों में समाया जावेगा । इन प्रकरणों में आगामी वेतन वृद्धि, सामान्य वेतन श्रेणी में, प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन की स्टेज पर की गई सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन वृद्धि हेतु विचार में ली जाकर देय होगी । जिन प्रकरणों में प्रवर श्रेणी वेतनमान का न्यूनतम वेतन सामान्य वेतन श्रेणी में प्राप्त वेतन से अधिक होगा, उन प्रकरणों में शासकीय सेवक का वेतन, प्रवर श्रेणी वेतनमान की न्यूनतम स्टेज पर निर्धारित होगा तथा उन्हें आगामी वेतन वृद्धि, साधारण नियमों के अन्तर्गत वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवश्यक सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त होगी ।

२- इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रवर श्रेणी पदों के लिए वेतन निर्धारण बावत अलग से निर्देश प्रसारित किये गये है उन प्रवर श्रेणी

---२---

-- २ --

पदों पर वेतन निर्धारण उक्त निर्देशानुसार ही होगा और उन्हें इस ज्ञाप में निहित निर्देश लागू नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से, तथा आदेशानुसार,

(कान्त स्वरूप भटनागर)
उप सचिव

क्रमांक [illegible] /३२१४/नि-१/चार/७९ भोपाल, दिनांक [illegible] नवम्बर ७९

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के सचिव / सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
अवर सचिव (स्थापना), अवर सचिव (अधीक्षण), लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल,
समस्त विभागीय अधिकारी / लेखाधिकारी / कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

२- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर / भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

३- सचिव, विधानसभा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

४- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(डी० एन० सोनी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग